


मोशन- 419/2008 5000 8/2015

दिनांक आज्ञा पत्र

28-6-18 वकील अपीलान्त 040/ रजिस्ट्रार के नॉन-रजिस्ट्रार के लिखित पर भी पत्रावली अवश्य भेज देना करे। पत्रावली परमादी हो पत्रावली अर्थात् 9-18 के नमूने पर



पत्रावली प्रस्तुत करीक 28-6-18 रजिस्ट्रार के नॉन-रजिस्ट्रार के लिखित पर भी पत्रावली अवश्य भेज देना करे। पत्रावली परमादी हो पत्रावली अर्थात् 9-18 के नमूने पर

24-9-18 पत्रावली पेश। वकील अपीलान्त को हिवायत दी जाती है कि आगामी तिथि से पूर्व तारीख में रजिस्टर्ड नोटिस पेश करे अन्यथा आगामी तिथि पर आदेश 9 नियम 5 सी.पी.सी. के तहत अपील खारिज कर दी जायेगी। तहत का रिपोर्ट भी तारीख पत्रावली पर / तलब किया जाये। पत्रावली वास्ते तारीख दिनांक 11-10-18 को पेश हों। पत्रावली में पूर्व में यदि स्वयं से तो उसे आगामी तिथि तक बढ़ाया जाता है।

सत्यमेव जयते
Copy - Not Official

11-10-18

पत्रावली पेश। वकील अपीलान्त को पूर्व पेशी पर हिवायत दी गई थी कि आगामी तिथि से पूर्व तारीख में रजिस्टर्ड नोटिस पेश करे अन्यथा आगामी तिथि पर आदेश 9 नियम 5 सी.पी.सी. के तहत अपील खारिज कर दी जायेगी। आज दिनांक तक अपीलान्त ने रजिस्टर्ड नोटिस पेश नहीं किये गये हैं इससे स्पष्ट है कि अपीलान्त अपनी अभील के प्रति गम्भीर नहीं है। फलस्वरूप अभील अपीलान्त आदेश 9 नियम 5 सी.पी.सी. के तहत खारिज की जाती है। निर्णय सरे इजलास बुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से आगे होकर दाह तारीख तकनील दाखिल दफतर हो।

11/10/18
प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
कर